

मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल कर्मचारी परस्पर सहकारी साख संस्था मर्यादित मन्दसौर (म.प्र.)

सदस्यों को परिवर्तित ऋण सुविधाएँ

संस्था अपने सदस्यों को निम्न तालिका के अनुसार ऋण स्वीकृत कर प्रत्येक शुक्रवार को संस्था में पूंजी उपलब्ध रहने पर भुगतान किया जाता है ।

(1) नगद ऋण :- 01.03.2018 से प्रभावशील

क.	सदस्यता अवधि	नगदऋण प्रथम	नगद ऋण द्वितीय	नगद ऋण तृतीय
1.	एक माह की सद. से एक वर्ष तक	1,60,000	1,40,000	1,00,000
2.	एक वर्ष से तीन वर्ष तक	2,50,000	2,00,000	1,50,000
3.	तीन वर्ष से अधिक	3,00,000	2,50,000	1,50,000

- (2) प्लाट ऋण एवं मकान ऋण कुल रुपये 25,00,000 /— (पच्चीस लाख) रुपये मात्र का भुगतान किया जाता है (प्लाट क्रय हेतु अधिकतम राशि 15 लाख)।
- (3) उच्च शिक्षा ऋण शैक्षणिक संस्था के मांग पत्र के आधार पर अधिकतम राशि 5,00,000 /—(पांच लाख) का भुगतान सीधे शैक्षणिक संस्था को किया जाता है ।
- (4) चार पहिया वाहन ऋण अधिकतम 8,00,000 /—(आठ लाख) रुपये जिन्होंने मकान/प्लाट ऋण नहीं लिया है उन्हें ही इसकी पात्रता आती है ।
- (5) अनाज/त्यौहार ऋण :- अधिकतम रुपये 30,000 /— (तीस हजार) रुपये मात्र भुगतान वर्ष में एक बार किसी भी त्यौहार पर अथवा माह अप्रैल/मई में अनाज ऋण का भुगतान किया जाता है ।
- (6) दुर्घटना गंभीर बिमारी ऋण :- 30,000 /— व बाहर रेफर करने पर अधिकतम 1,00,000 /— रुपये ।

संविदा सदस्यों को ऋण सुविधाएँ

नगद ऋण :-

क	सदस्यता अवधि	नगदऋण प्रथम	नगद द्वितीयनगद तृतीय
1.	एक माह की सद. से एक वर्ष तक	1,00,000	50,00040,000
2.	एक वर्ष से तीन वर्ष तक	1,30,000	70,00050,000
3.	तीन वर्ष से अधिक	1,50,000	90,00060,000

जो सदस्य कुटुम्ब कल्याण निधि के सदस्य नहीं है उन्हें केवल 100000/- तक के ऋण भुगतान की पात्रता होगी । अन्य सदस्यों के लिये लागू ऋण सीमा की सुविधा भी सदस्य अगर स्वयं के जीवन पर जीवन बिमा निगम की चालू पॉलिसी संस्था के नाम बंधक रखते हैं तो पूरी ऋण सीमाका लाभ प्राप्त कर सकते हैं । पूर्व में लिये गये ऋण की 50 प्रतिशत अदायगी रकम जमा करने के पश्चात अगले माह में होगी । विशेष परिस्थितियों में उसी माह में भी स्वीकृत कर भुगतान किया जा सकेगा ।

संस्था में सभी ऋण चेक से ही भुगतान किये जाते हैं ।

शंकरलाल खरे

संचालक

ऋण समिति

एस.के.सोलंकी

संचालक

ऋण समिति

डी.एस.चन्द्रावत

अध्यक्ष

ऋण समिति